

# कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय - आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को 9/18/27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण- पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई 2013 एवं एफ14(88) एफ डी/रूल्स/ 2008-1 दिनांक 06.10.2015 के अनुसार इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक सं.नि./स्कूशि/भरत/ एसीपी-आदेश/2015/59 दिनांक 20.04.2015 में संसोधन कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित दिनांक से पद की निम्नानुसार प्रथम/ द्वितीय/तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत की जाती है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम मय पद एवं पदस्थापन स्थान	प्रथम/नियमित नियुक्ति तिथि	वर्तमान पेमार्टिक्स लेवल	स्वीकृत एसीपी प्रथम/द्वितीय/तृतीय	स्वीकृत पेमार्टिक्स लेवल	स्वीकृत एसीपी तिथि
1	श्रीमती हेमलता शर्मा व0अ0 राउमावि सुहारी वैर भरतपुर	14-02-92	एल-12	तृतीय	एल-13	14-02-19
2	श्री सुरेश चन्द व0अ0 राउमावि रमगढा, सैपड धौलपुर	29-10-92	एल-12	तृतीय	एल-13	29-10-19
3	श्री रामकिशोर महावर व0अ0 राउमावि जीवद ब्लॉक बामनवास स0माधोपुर	31-10-92	एल-12	तृतीय	एल-13	31-10-19

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में उक्त आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गयी है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 07 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. राज्य सेवा पदोन्नत पाते वेतन कार्मिकों की डीपीसी एसीपी प्रभावी दिनांक से पूर्ण होने के स्थिति यह आदेश निरस्त समझे जायेंगे।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

www.rajteachers.com

क्रमांक:- सं.नि./स्कूशि/भरत/एसीपी-आदेश/2020/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
2. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक
3. रक्षित पत्रावली

दिनांक:- .09.2020

(रिपुसूदन)

9-9-2020

संयुक्त निदेशक  
स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर